न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : (141/14) 129/2019

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
प्रहलादसिंह वल्द भंवरसिंह जाति–राजपूत, निवासी–बलाड़ा, तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.।		1. रेवतकंवर खाविद भंवरसिंह 2. मोहनसिंह वल्द हरिसिंह 3. भगवतसिंह वल्द शिम्भूसिंह 4. ओमसिंह वल्द शिम्भूसिंह 5. अजीतसिंह वल्द शिम्भूसिह 6. सायर कंवर बेवा शिम्भूसिंह समस्त कौम– राजपूत साकिन बलाड़ा तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। 7. उप पंजीयन अधिकारी कार्यालय, जैतारण 8. पटवारी, पटवार हल्का, बलाड़ा। 9. तहसीलदार जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः.10/07/2014**

उपस्थितः. 1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 18/11/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणाव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53ए, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा– बलाड़ा पटवार क्षेत्र बलाड़ा, भूमि अभिलेख निरीक्षक बलाड़ा तहसील जैतारण जिला–पाली में खसरा संख्या 1146/16 रकबा 25 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आयी हुई है। वर्तमान समय में कातिसरे की फसल हेतु मुदई ने अपनी हिस्से की कृषि भूमि को खड़ाई करके बुवाई हेतु तैयार कर लिया हैं। उक्त भूमि में वादी हमेशा से कातिसरे की फसल पैदा करता आ रहा है। जो बिना किसी व्यवधान के बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त मुदई का मुतदाविया आराजी पर है। उक्त फिकरे में वर्णित कृषि भूमि आराजी संयुक्त हिन्दू मुस्तका खानदान की हैं। हिन्दू विधि के अनुसार मुदई का हक एवं हिस्सा उक्त आराजी में 1/18 हिस्सा आता है। उक्त आराजी में मुदई कब्जा काश्त करता आ रहा है और अपने परिवार की आजीविका यापन करता हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार प्रत्येक पुत्र को अपनी पुश्तैनी कृषि आराजी का बंटवाड़ा करने का अधिकार हैं। इसी के अनुसार मुदई हक हकूकों के लिए माननीय न्यायालय में दावा पेश किया। जिसमें पूर्ण सफल होने की आशा हैं। उक्त मुतदाविया आराजी पर मुदई द्वारा काश्त करने के कारण अपने हक व हिस्से के अनुसार भूमि सूधार करना चाहता है तथा खेत के चारों और चार दिवारी बनवाना चाहता है। इसलिए दावा बाई मिण्ट्स एझउ बाउण्डस करने के लिए सादर पेश है। मुदई ने पूर्व में भी माननीय न्यायालय में तकास्मा कृषि आराजी का दावा पेश कर रखा हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुदायलान मुदई के कब्जे काश्त में बेजा मदालखत करते है। संख्या व बल में अधिक होने के कारण आये दिन टन्टा फिसाद करते है। तथा पास में ही अल्ट्राटेक सीमेन्ट का प्लांट आने के कारण जमीन बेश कीमती है। उसको हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अतः मुदायलान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा के वास्ते रोका जावें। दिनांक 28.06.2014 को पटवारी ग्राम बलाड़ा से नकल ऋण हेतु प्राप्त करने पर पता चला कि उक्त कृषि भूमि मुदई की माता ने स्वयं के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दी। तब बिनाय दावा ग्राम बलाड़ा में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया, जो सामिल पत्रावली है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र के पैरा 03 में वादग्रस्त आराजी को संयुक्त हिन्दू मुस्तका खानदान की होना अंकित करते हुए हिन्दू विधि के अनुसार मुदई का हक एवं हिस्सा 1/18 होना अंकित किया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार प्रत्येक पुत्र को अपनी पुश्तैनी कृषि आराजी का बंटवाड़ा करानें का अधिकार होना जाहिर करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजी में अपना 1/18 हिस्सा घोषित करते हुए उसका बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किए जानें की इस्तदुआ की है।

वाद पत्र के संलग्न जमाबंदी संवत 2069-2072 ग्राम-बलाड़ा, तहसील-जैतारण की खसरा संख्या 1146/16 रकबा 25-07 बीघा जिसमें रेवंतकंवर पत्नी भंवरसिंह खातेदार के रूप में अंकित है। वादपत्र के पैरा संख्या 03 में वादी द्वारा पेश सजरा खानदान के अनुसार रेवंतकंवर वादी की माता है। इस प्रकार वादी अपनें माता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को संयुक्त हिन्दू मुस्तका खानदान की पुश्तैनी आराजी मानते हुए उसमें से माता के जीवित रहते हुए अपना हक हिस्सा घोषित करवाना चाहता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1756 की धारा-14 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि हिन्दू नारी की संपत्ति उसकी आत्यंतिकतः अपनी संपत्ति होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से धारित की गई हो वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। इस प्रकार माता के नाम धारित आराजी में से माता के जीवित रहते हुए पुत्र को अपना हक-हिस्सा पानें का कोई विधिक अधिकार नहीं है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में वादी अपना वाद लिखित और मौखिक किसी भी प्रकार के साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, वादी ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श कराए है, न ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए है। इस प्रकार वादी का वाद खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1995 बखूबी साबित नहीं होने, वाद

उपखण्ड अधिकारी
(पाली)

Scanned by CamScanner

वादी धारा-14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 से बाधित होनें एवं वाद वादी सारहीन होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
जैतारण (पाली)
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/11/2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जैतारण (पाली)
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.27 17:21:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: